



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2025 ई0 (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-48

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	877-888	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	361-364	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	443-458	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

**कार्यालय-नगर निगम, काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर**  
**संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017 नगर निगम काशीपुर**

12 सितम्बर, 2025 ई0

पत्रांक:-639/मु0कार्यालय/2025-26-नगर निगम काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड की धारा 541 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड गजट 09 दिसम्बर 2017 ई0 (अग्रहायण 181939 शक सम्वत्) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017 नगर निगम काशीपुर के धारा 12 में अनुसूची में दी गई दरें प्रत्येक तीन वर्ष बाद पुनरीक्षित करने के प्राविधान के अनुपालन में अनुसूची-1 सेवा शुल्क में निम्न संशोधन किया जाता है:-

क्र0 सं0	अपशिष्ट उपत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क की स्वीकृत दरे प्रतिमाह आपत्ति से पूर्व (रुपये में)		प्रतिमाह सेवा शुल्क की संशोधित दरे प्रतिमाह आपत्ति उपरान्त (रुपये में)	
01	02	03		04	
1	आवासीय भवन	उच्च वर्ग	50/-	आवासीय भवन	50/-
		मध्यम वर्ग	30/-	प्रति परिवार	
		निम्न वर्ग	10/-		
2	सब्जी फल विक्रेता	ठेली पर फेरी	10/-	ठेली पर फेरी में	100/-
		में स्थायी	50/-	स्थायी	
		दुकान/ फड पर		दुकान/फड पर	500/-
				फास्ट फूड व खानपान ठेले पर	500/-
3	मांस मछली विक्रेता		300/-		1500/-
4	रेस्टोरेंट		300/-		1500/-
5				शराब की दुकान कैटिन सहित	3000/-
				शराब की दुकान कैटिन सहित	1000/-
6	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस		500/-	होटलरेस्टोरेंटबारात घर सहित	5000/-
				होटलरेस्टोरेंटसहित	3000/-
7	धर्मशाला		150/-		150/-
8	बारातघर (चैरिटेबिल)		300/-		300/-
9	बारातघर (नॉन चैरिटेबिल)		1000/-		3000/-

10	कार्यालय/स्कूल/शिक्षण संस्थाएसरकारी कार्यालय/स्कूल/शिक्षण संस्थाए गैर सरकारी		निशुल्क 100/-		250/-
11	समस्त बैंक		100/-		500/-
12	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (अनुपचारित बॉयो मेडिकल वेस्ट छोड़कर)	40 बैड तक 41 बैड से अधिक पर	1000/- 1500/-		5000/-
13	क्लीनिक/पैथोलॉजी	क्लीनिक पैथोलॉजी	100/- 500/-	पैथोलॉजी	100/- 1500/-
14	दुकानें (खाद्य पदार्थ बनाकर देने वाली दुकानों को छोड़कर)		50/-		50/-
15	खाद्य पदार्थ बनाकर देने वाली दुकानें		50/-	बैकरी मिठाई की दुकान मिठाई की दुकान रेस्टोरेंट सहित	1000/- 1500/- 3000/-
16	फैक्ट्री		1000/-		1000/-
17	वर्कशॉप		100/-		250/-
18	कबाड़ी		50/-		250/-
19	जूस/गन्ने का रस विक्रेता		100/-	फल जूस की अस्थायी दुकाने गन्ने का जूस	500/- 100/-
20	निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	रेता बजरी व अन्य सामग्री सड़क पर होने की स्थिति में मार्ग प्रतिबन्धित होने पर	500/- ससाह मार्ग प्रतिबन्धित नहीं होना चाहिए 500/- के अतिरिक्त 100/-		500/- ससाह मार्ग प्रतिबन्धित नहीं होना चाहिए 500/- के अतिरिक्त 100/-
21	सिनेमा हॉल		1000/-		1000/-
22	बार		500/-		1000/-
23	बारबर/मोची/दर्जी/ड्राई क्लीनर व्यवसाय करने वाले		50/-		50/-

24	सार्वजनिक स्थानोप्लाटो एवं नाले/नालियो में कूड़ा डालने पर जुर्माना		1000/-		1000/-
----	--	--	--------	--	--------

## शास्ति

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग(यूजर चार्ज) एवं उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करने पर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) के अधीन कार्यवाही/जुर्माना/अर्थदण्ड जो रू01000/- तक होगा। यदि निर्धारित अवधि तक उपरोक्त यूजरचार्ज की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो इस धनराशि के अतिरिक्त यूजरचार्ज का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।

धारा-15 को संशोधित करते हुए उपरोक्त धारा-15 को शास्ति में समाहित किया जाता है।

शेष नियम व उपनियम पूर्व में नोटिफाईड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2016 में यथावत रहेंगे।

ह0

रविन्द्र सिंह बिष्ट,

नगर आयुक्त,

नगर निगम काशीपुर।

ह0

दीपक बाली,

महापौर,

नगर निगम काशीपुर।